न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 95/2022

GCMS No. 2022/219

रामेश्वरलाल पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी जैतपुरा (कालेरा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

–प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा (कालेरा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
2. इन्द्राज पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा (कालेरा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
3. ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा (कालेरा का बास) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
4. आई.डी.बी.आई. बैंक लि0 शाखा स्टेशन रोड़ झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक
5. झुन्झुनू केन्द्रीय बैंक सहकारी बैंक लि0 शाखा स्टेशन रोड़ झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री शिवहरि प्रसाद
वकील अप्रार्थी संख्या 1 – श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी संख्या 2 – रजिया बानो

निर्णय

दिनांक 24.06.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक का खेत ख0न0 90 रकबा 1.65 है0 सरहद मौजा ग्राम जैतपुरा तहसील मलसीसर में स्थित है। आवेदक के खेत की दक्षिण सीमा से सटकर अनावेदकगण संख्या 1, 2, 3 का खेत ख0न0 494/97, 493/97, 490/92 व 495/97 स्थित है। अनावेदकगण का खेत के दक्षिण सीमा पर जैतपुरा (कालेरा का बास) से गोपालपुरा जाने वाला रास्ता दर्ज है तथा अनावेदकगण 1 व 2 ने अपने खेत में चाह कुआं बनाकर विधुत कनेक्शन ले रखा है। अपने खेतों में आवास बनाकर आबाद है। अनावेदकगण जैतपुरा से गोपालपुरा जाने वाले रास्ते से अपने खेत में बने कुए एवं आवास तक आने–जाने के लिए रास्ता कायम कर रखा है जो कायमी रास्ता अनावेदकगणें के खेतों से होकर कायम है परन्तु रास्ता दर्ज नहीं है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने के लिए नया मार्ग बनाने एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के कुएं व आवास तक विद्यमान रास्ते को विस्तारित करवाने की आत्यांतिक आवश्यकता है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत में पहुंचने के लिए एक अन्य नजदीकी उपलब्ध नहीं है ना ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इसलिये प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपनी भूमि खेत ख0न0 90 में आने–जाने के लिये जैतपुरा से गोपालपुरा जाने वाले रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

अनावेदकगण के खेत ख0न0 495/97, 490/92, 493/97, 494/97 में जो कुआं एवं आवास तक अनावेदकगण ने रास्ता कायम कर रखा है जिसे आगे आवेदक की जोत तक सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवेदक हमेशा से ख0न0 90 के उत्तर में ख0न0 599/57 में से आता जाता रहा है। ख0न0 601/57 व 529/57 के उत्तर में आम रास्ता स्थित है जो पूर्व पश्चिम है। यहां से रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी के लिये पूर्व में दावा किया गया था। आवेदक का नजरी नक्शा के मुताबिक कभी कोई रास्ता नहीं रहा ना ही उक्त रास्ता निकटतम दुरी का है। आवेदक महेन्द्र के घर के मध्य से रास्ते की मांग कर रहा है जो गलत है। ख0न0 493/97 ख0न0 90 के दक्षिण में स्थित है जिसकी पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई है जो भी एक विकल्प हो सकता है। आवेदक ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीरूसिंह सर्किल से ऋण ले रखा है जिसको पक्षकार नहीं बनाया है इसलिये भी आवेदक का आवेदन आवश्यक पक्षकार के अभाव में पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अनावेदक संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि अनावेदक संख्या 2 की भूमि ख0न0 493/97 है। आवेदक द्वारा चाहा गया नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता कटानी दर्ज कर दिया जाता है तो अनावेदक संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक के खेत ख0न0 493/97 की उत्तर एवं पश्चिम दिशा में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं था ना ही अब है। अनावेदक संख्या 2 की भूमि के उत्तर एवं पश्चिम दिशा से रास्ता दिया जाने की सूरत में आवेदन का आवेदन पत्र खारिज किया जावे।

अनावेदकगण संख्या 3, 4 व 5 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 1817 दिनांक 21.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनावेदक संख्या 2 की ओर से रिपोर्ट पर आपति पेश की गई जिस पर पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मलसीसर ने पत्रांक 1677 दिनांक 20.11.2024 से अपनी मोका रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में भी ख0न0 566/460 गै0मु0 रास्ता से ख0न0 493/97 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त रिपोर्ट पर भी अनावेदक द्वारा आपत्ति पेश करने पर पुनः तहसीलदार को आपति अनुसार ग्राम जैतपुरा के ख0न0 599/57, 600/57 की सीमा से लगते हुये ख0न0 91 से होते हुये ख0न0 494/97 तक आवागमन हेतु कोई कदीमी रास्ता चालु होने अथवा मौके पर रास्ता उपलब्ध होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की

गई। जिसके प्रति उत्तर में तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्रांक 911 दिनांक 12.05.2025 से पुनः रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें तहसीलदार ने 599/57, 600/57, 91 में कोई कदीमी अथवा मौके पर चालु रास्ता नहीं होना अंकित किया है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अथवा नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार जो भी न्यायालय उचित समझे लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने संख्या 5 लगायत 8 ने तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार लघूतम रास्ता दिया जाने में सहमती जाहिर की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 90 में आने जाने हेतु 495/97, 490/92, 493/97, 494/97 में जो कुआं एवं आवास तक अनावेदकगण ने रास्ता कायम कर रखा है जिसे आगे आवेदक की जोत तक सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार अथवा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार जो भी उपलब्ध हो रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा ख0न0 493/97 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे होकर लघूतम रास्ता जिसकी लम्बाई 184 मीटर है, दिया जा सकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 90 में आने–जाने के लिये ख0न0 566/60 गै0मु0 रास्ता से खेत खसरा नम्बर 493/97 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट में अंकित लघूतम रास्ता 3 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 493/97 में से रास्ते में आने वाली 552 वर्गमीटर भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदक से वसूल कर ख0न0 493/97 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर